न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष

एम0के0सिंह

सदस्य

अपील प्रकरण कमांक 2034/1/2011 – विरूद्व आदेश दिनांक 16–3–2004 पारित व्दारा - कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी, जबलपुर – प्रकरण कमांक 2591/स0अ0(सा0)/04

अजाजुददीन कुरेशी पुत्र शमसुद्वीन कुरेशी
रिटायर्ड आर0टी0ओ0
निवासी मिशन कम्पाउन्ड थाना ओमती
जबलपुर, मध्य प्रदेश ---- अपीलांट

विरूद्व

कलेक्टर जिला जबलपुर ----रिस्पाण्डेन्ट

(अपीलांट की ओर से अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)
(म.प्र.शासन के पैनल लायर श्री डी0के0शुक्ला)

आ दे श

(आज दिनांक 5–8–2015 को पारित)

यह अपील कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी जबलपुर व्दारा प्रकरण कमांक 2591/स0अ0(सा0)/04 में पारित आदेश दिनांक 16–3–2004 के विरूद्व भारतीय निखात निधि अधिनियम 1978 (आगे जिसे अधिनियम सम्बोधित किया गया है) की धारा 9 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अतिरिक्त प्रान्तीय शिक्षण महाविद्यालय जबलपुर में खुदाई के दौरान निम्नानुसार पुरातत्व महत्व की धातु पाये जाने पर थाना ओमती जबलपुर एवं थाना मदनमहल जबलपुर व्दारा जप्त की गई :–

सोना | चॉदी

(प्राप्ति स्थल) मानव लोक सोसायटी गढ़ा क्षेत्र जिला मुख्यालय जबलपुर

160 सिक्के | 23 सिक्के

आभूषण स्वर्णफूल 17 नग | आभूषण कड़ा चांदी 2 नग

छल्ले 16 नग, कंठ आभूषण के टुकड़े 7 नग

गले सोने के टुकड़े 6 नग

सिक्कों के टुकड़े 30 नग

कड़ी 1 नग, सोने का तार मुड़ा हुआ 1 नग

नागयुग्त मणी चिन्हयुक्त 1 नग

सोने का कण्ठहार 1 नग, चूड़ियां नई 2 नग

(आकार) गोल 173 सिक्के | चौकोर 10 सिक्के

सिक्कों की संख्या – 183 सोने के सिक्के तथा 23 चांदी के सिक्के – कुल 183 सिक्के

उक्तानुसार सिक्कों एंव आभूषणों (आगे जिन्हें संपत्ति अंकित किया गया है) को थाना ओमती जबलपुर एंव मदनमहल जबलपुर व्दारा जिला कोषालय जबलपुर में जमा कराया गया। लावारिस सिक्कों एंव आभूषणों के संबंध में कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी जबलपुर ने प्रकरण कमांक 2591 / स0अ0 (सा0) / 04 पंजीबद्व कर मध्य प्रदेश निखात निधि नियम 1964 के नियम 4 में विहित प्रावधानानुसार सार्वजनिक सूचनार्थ एंव दावेदारों की आपत्तियां आमंत्रण हेतु इस्तहार का प्रकाशन कराया एंव दैनिक भास्कर समाचार पत्र दिनांक 4 मार्च 2003 में इस्तहार प्रकाशित कराया। कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी जबलपुर ने जांच एंव सुनवाई उपरांत आदेश दिनांक 16 मार्च 2004 पारित किया तथा अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत खुदाई में प्राप्त संपत्ति राजसात कर दी।

उक्तादेश के विरूद्व अपीलार्थी ने अठाहरवे व्यवहार न्यायाधीश वर्ग –2 जबलपुर के न्यायालय में व्यवहार वाद कमांक 152 ए / 2005 अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया जो आदेश दिनांक 6–8–2005 से निरस्त हुआ। इस आदेश के विरूद्व चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जबलपुर के समक्ष सिविल अपील कमांक 35 ए / 2005 प्रस्तुत हुई जो आदेश दिनांक 31 मार्च 2006 से ऑशिकरूप से स्वीकार की जाकर निर्देश दिये गये कि अपीलार्थी – दि चीफ कन्ट्रोलिंग रेवेन्यू अथार्टी – के समक्ष अपील प्रस्तुत करे। इस आदेश के विरूद्व अपीलांट ने

माननीय उच्च न्यायालय में द्वित्तीय अपील कमांक 116/2007 प्रस्तुत की, जो आदेश दिनांक 8.12.2010 से निरस्त हुई , फलतः मान0 चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश जबलपुर का आदेश दिनांक 31 मार्च 2006 यथावत् रहा। इसी कम में अपीलांट ने यह अपील राजस्व मण्डल,म0प्र0ग्वालियर में प्रस्तुत की है।

2/ अपील मेमो में वर्णित तथ्यों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया।

3/ उभय पक्ष के अभिभाषकों व्दारा प्रस्तुत तर्को पर विचार करने एंव अपील मेमो में वर्णित तथ्यों के कम में कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के प्रकरण कमांक 2591/स0अ0 (सा0)/04 के अवलोकन से यह तथ्य निर्विवाद है कि वादग्रस्त संपत्ति प्रॉतीय शिक्षण महाविद्यालय जबलपुर की नींव खुदाई / मानव लोक सोसायटी गढ़ा क्षेत्र थाना मदनमहल जबलपुर से खुदाई के दौरान प्राप्त हुई है, जिसमें से 3 सोने के सिक्के थाना ओमती ने मनोहरसिंह बल्द झगनूसिंह गौड़ से एंव अन्य सामग्री विभिन्न व्यक्तियों से जप्त करके कोषालय जबलपुर में रखवाये गये हैं। विचार योग्य बिन्दु है कि सोने के सिक्कों पर अरबी (लिपि) भाषा अंकित है। स्पष्ट है कि समस्त आभूषण एंव सिक्के पुरातत्व महत्व के है, जिसके आधार पर मुद्राशास्त्री, पुरातत्व अभिलेखागार एंव संग्राहक म0प्र0भोपाल ने कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी जबलपुर को पत्र कमांक 1137/मु.शा./2002 दिनांक 27-5-2002 भेजकर भारतीय निखात निधि अधिनियम 1978 एंव तत्सम्बन्धी म0प्र0निखात निधि नियम 1965 के नियम 6 एंव 7 के अंतर्गत अर्जन आदेश जारी करने का प्रस्ताव दिया । स्पष्ट है कि समस्त संपत्ति भारतीय पुरातत्व महत्व की है क्यों कि सिक्कों पर पर अरबी (लिपि) भाषा अंकित है और वह खुदाई के दोरान भूमि की तह में पाये गये हैं और ऐसी जमीन की तह में गढ़ी हुई संपत्ति पर शासन का स्वामित्व पहुंचता है।

4/ अपीलांट के अभिभाषक ने तर्को में बताया कि इस्तहार के प्रकाशन उपरांत अपीलांट ने कलेक्टर जबलपुर के समक्ष उपस्थित होकर समस्त संपत्ति स्वयं की होना बताते हुये जप्तशुदा संपत्ति वापिस दिये जाने की मांग की है तथा संपत्ति स्वयं की होने के लेखी प्रमाण तथा मौखिक साक्ष प्रस्तुत की है किन्तु कलेक्टर व्दारा साक्षीगण के कथनों एव प्रमाणों को अनदेखा करते हुये संपत्ति राजसात करने का त्रृटिपूर्ण आदेश पारित किया है। कलेक्टर एव

जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के प्रकरण कमांक 2591 / स0अ0(सा0) / 04 के अवलोकन पर पाया गया कि विज्ञप्ति प्रकाशन उपरांत अपीलांट ने प्रार्थना पत्र दिनांक 3–6–2003 प्रस्तुत कर इस्तहार दिनांक 2.1.2003 में दर्शित संपत्ति को पूर्वजों की होना बताते हुये उसे दिये जाने की मांग / आपत्ति प्रस्तुत की है। कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी जबलपुर ने अपीलांट के एंव अन्य दावेदार संतोष कुमार बेन के कथन लिये हैं। प्रकरण के अवलोकन से पाया गया कि है कि दावेदार संतोषकुमार ने वादग्रस्त संपत्ति पर से स्वयं व्दारा प्रस्तुत दावेदारी वापिस ले ली है। अपीलांट ने कथनों में बताया है कि थाना मदनमहल से जप्त संपत्ति मेरे निवास से चोरी हुई है जिसकी रिपोर्ट 13–5–76 दर्ज कराई गई थी तथा तत्समय थाने व्दारा कुछ चांदी के सिक्के एंव ताम्बे के सिक्के 1–2–77 को वापिस किये हैं। जब थाना बेलवाग से चोरी की रिपोर्ट एंव सामग्री वापिसी पर अभिमत लिया गया, थाना प्रभारी व्दारा बताया गया कि श्री अजीज कुरेशी निवासी गुरंदी मोहल्ला व्दारा वर्ष 1976 में चोरी की प्राथमिकी दर्ज कराया जाना नहीं पाया गया है क्योंकि वर्ष 1976 का जरायम रजिस्टर नष्ट हो चुका है । थाने में उपलब्ध चिलेज नोटबुक में भी श्री अजीज कुरेशी व्दारा कथत चोरी की रिपोर्ट दर्ज होना नहीं पाई गई।

श्री कुरेशी व्दारा चोरी के पुष्टिकरण में जिस रिपार्ट की छायाप्रति प्रस्तुत की है रिपोर्ट में अंकित तथ्यों अनुसार उनके घर में आग लगने एंव बचाव दल व्दारा घर के अन्दर रखा सामान बचाने के उद्देश्य से बाहर फेंका गया एंव जो सामान अन्दर नहीं मिला है उसके अनुसार उषा मशीन, एक टेविल फेन, एक स्फटिक पत्थर की माला, चांदी–तांबे– पीतल के पुराने जमाने के सिक्के, एक ताम्रपत्र सन 1976 का , जिसमें नाम खुदा हे, एक पीतल की गुन्ड, कुछ तफतर के जरूरी कागजात । स्पष्ट है कि वर्ष 1976 में लगी आग में गुमशुदा सामग्री में विचाराधीन प्रकरण में खुदाई के दौरान प्राप्त जप्तशुदा संपत्ति का उल्लेख नहीं है जिसके कारण अपीलांट व्दारा वादग्रस्त संपत्ति पर की गई दावेदरी कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी ने स्वीकार नहीं की है और इन्हीं कारणों से अपीलांट के अभिभाषक व्दारा वादग्रस्त संपत्ति अपीलांट की होने बाबत् दिये गये तर्क स्वीकार योग्य नहीं हैं।

5/ कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के प्रकरण कमांक 2591 / स0अ0(सा0) / 04 के अवलोकन पर पाया गया कि अपीलांट ने बचाव में कलेक्टर जबलपुर का पत्र कमांक 2262

दिनांक 1–2–77 प्रस्तुत कर गुरंदी में मिले सिक्के उन्हें सौंप दिये जाना बताया है, किन्तु जब श्री कुरेशी के घर में दिनांक 11–5–1976 को आग लगी थी, बचाव दल व्दारा घर के अन्दर रखा सामान बचाने के उद्वेश्य से वाहर फेंका गया एंव जो सामान अन्दर नहीं मिला , खोने के वाद वरामद हुआ – उक्त पत्र खोये हुये सामान से वरामद सामान की वापिसी वावत् है। इस प्रकार कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी जबलपुर के समक्ष अपीलांट बचाव में खुदाई के दौरान प्राप्त संपत्ति स्वयं की होना सिद्व करने में असफल रहा है जिसके कारण कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी जबलपुर व्दारा पारित आदेश दिनांक 16–3–2004 विधिवत् होना पाया गया है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी जबलपुर व्दारा प्रकरण क्रमांक 2591/स0अ0(सा0)/04 में पारित आदेश दिनांक 16–3–2004 विधिवत् पाये जाने से हस्तक्षेप योग्य नहीं है। अस्तु अपील अस्वीकार की जाती है।

(एम0के0 सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल, म0प्र0ग्वालियर